कुलदीप सिंह एवं अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

अप्रैल 25, 2000

(के.टी. थॉमस, दौराईस्वामी राजू एवं एस.एन. वैराईवा, न्यायमूर्तिगण)

दण्ड सहिंता, 1860 : धारा 302 एवं 120– बी। 120–बी सपठित धारा 302–हत्या–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–हेतुक स्थापित–साक्ष्य के विश्लेषण में कोई दुर्बलता नहीं–विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं सजा–सम्पुष्ट।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 313–हत्या–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–अभियुक्त द्वारा गलत स्पषटीकरण–प्रभाव–अभिनिर्धारित, परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में अतिरिक्त या लुप्त कड़ी प्रदान करता है।

अपीलार्थी पर अन्तर्गत धारा 302 एवं 120–बी, धारा–120 बी सपठित धारा 302 दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन का मामला था कि 'एस' और उसका भाई 'एम' अपने परिवार के साथ एक घर के अलग–अलग हिस्सों में रह रहे थे। 'एम' की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी (जो कि अपीलार्थी संख्या 04 है) और उसकी बेटियां कथित घर में ही रह रही थीं। अपीलार्थी संख्या 04 ने अपीलार्थी संख्या 01 (जो 'एम' का पूर्व किरायेदार था) के साथ अवैध सम्बन्ध बना लिये थे; 'एस' ने कथित संबंध पर आपत्ति जताई। यह अपीलार्थी संख्या 04 की संपत्ति के अपने हिस्से को बेचने पर भी आपत्ति जता रहा था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने 'एस' को मारने की साजिश रची। उक्त षड्यंत्र के अनुसरण में, अपीलार्थी संख्या 04 'एस' को घर में अकेला छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को रामलीला उत्सव दिखाने के लिए ले गया था। अपीलार्थी संख्या 04 थोड़े समय के लिए रामलीला उत्सव से चला गया था। जब परिवार के सदस्य घर वापस लौटे तो 'एस' को खून से लथपथ पाया। साक्ष्य के मूलयांकन पर परीक्षण न्यायालय, यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य उचित संदेह से परे अभियुक्त का दोष स्थापित करता है और अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 को अन्तर्गत धारा 302 एवं 120 बी के तहत तथा अपीलार्थी संख्या 3 एवं 4 को अन्तर्गत धारा 120 बी सपठित धारा 302 आई.पी.सी. के तहत दोषी तथा सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टी की।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय–

अभिनिर्धारितः 1– युक्ति–युक्त संदेह से परे स्थापित किया गया है कि अभियुक्त संख्या 1, 2 एवं 4 ने साजिश रची थी और 'एस' की हत्या कर दी थी। साक्ष्य की सराहना में या तथ्यों और परिस्थितियों के रचनाक्रम में कोई कमजोरी या भ्रांति नहीं है, जो निर्विवाद रूप से दोष के उचित संदेह से परे एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, जहां तक अपीलार्थी संख्या 1, 2 एवं 4

सम्बन्धित हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई पुष्ट की जाती है।

2– अपीलार्थी 4 ने धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि उसने रामलीला समारोह छोड़ दिया था। हालांकि, गवाहों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि उन्होंने रामलीला कार्यक्रम छोड़ दिया था। अपीलार्थी संख्या 4 द्वारा दिया गया गलत उत्तर परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करता है, अतिरिक्त लिंक या एक लुप्त श्रंखला प्रदान करता है।

स्वपन पत्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1999) 9 एस.सी.सी. 242 एवं महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, (2000) 1 एस.सी.सी. 471, पर निर्भर।

3– ऐसी कोई परिस्थिति या प्रमाण नहीं है जो अपीलार्थी संख्या 3 को हत्या की साजिश से जोड़े। पी0डब्लू0– 9 का बयान कि उसने अपीलार्थी संख्या 3 को अपीलार्थी संख्या 1 और 2 के साथ मृतक के घर की ओर जाते देखा था, अपने आप में अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एकमात्र अन्य साक्ष्य अर्थात पी0डब्लू0– 5 ने पुलिस को विरोधाभासी बयान दिये थे जो पर्याप्त है, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, आई.पी.सी. की धारा 120 बी सपठित धारा 302 के तहत अपीलार्थी संख्या 3 की दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया जाता है।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 658 सन 1988

आपराधिक अपील संख्या 274 सन 1978 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 10.03.1998 से।

अपीलार्थी की ओर से पी.आर. अग्रवाल, प्रमोद दयाल एवं पीयूष शर्मा।

प्रत्यक्षी की ओर से सुशील कुमार जैन, ए. मिश्रा एवं अंजलि दोषी।

न्यायालय का निर्णय एस.एन. वैरियावा के द्वारा दिया गया था। यह अपील दिनांक 10 मार्च, 1997 के निर्णय के विरूद्ध है। निर्णय द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील की पुष्टि की गयी है। अपीलार्थी 1 एवं 2 को आई.पी.सी. की धारा 302 एवं 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी 3 एवं 4 को आई.पी.सी. की धारा 302 सपठित धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया है। उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।

संक्षेप में अभिकथित तथ्य इस प्रकार हैं–

सोहन सिंह और उनके भाई मोहन सिंह वार्ड नं0– 35, पुरानी आबादी, गंगानगर में घर के अलग–अलग हिस्सों में रह रहे थे। वे दोनो वैद्य के रूप में काम करते थे और एक दवा की दुकान चला रहे थे। सोहन सिंह की शादी करनैल कौर से हुयी थी। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। मोहन सिंह की शादी सुरजीत कौर यानी अपीलार्थी संख्या 4 से हुयी थी। इनकी तीन बेटियां हैं। मोहन सिंह का 1974 में निधन हो गया था। इसके बाद, सोहन सिंह और उनका परिवार तथा अपीलार्थी संख्या 4 और उनके बच्चे उसी घर के हिस्सों में रहते रहे, जहां वे पहले रहते थे। सोहन सिंह की हत्या 15 और 16 अक्टूबर, 1977 के मध्य रात को उनके ही घर में की गयी थी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी संख्या 1, कुलदीप सिंह, मोहन सिहं का पूर्व किरायेदार था। अपीलार्थी संख्या 2 महेन्द्र सिंह अपीलार्थी संख्या 1 का मामा है। अपीलार्थी संख्या 3 उत्तम चन्द अपीलार्थी संख्या 1 का मित्र है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी संख्या 4 के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिये थे। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 अपीलार्थी संख्या 4 के घर आते रहते थे, जब अपीलार्थी संख्या 1 किरायेदार था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सोहन सिंह अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 4 के बीच अवैध संबंधों पर आपत्ति जता रहे थे। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सोहन सिंह ने अपीलार्थी संख्या 4 के अपने हिस्से को बेचने पर भी आपत्ति जताई थी। अभियोजन पक्ष का मामला था कि सभी चार अपीलकर्ताओं ने सोहन सिंह की हत्या की साजिश रची और उक्त साजिश के अनुसरण में अपीलकर्ता 1 एवं 2 ने सोहन सिंह की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि उक्त साजिश के अनुसरण में अपीलार्थी संख्या 4 ने सोहन सिंह की पत्नी सहित परिवार के सभी सदस्यों को गांव में चल रही रामलीला में ले गयी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी संख्या 4 ने सोहन सिंह के बेटे के भी घर पर रहने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी थी, क्योंकि बेटे ने रामलीला कार्यक्रम में भाग लेने पर जोर दिया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी संख्या 4 परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रामलीला उत्सव में गयी थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए रामलीला मैदान से चली गयी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि जब करनैल कौर और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपीलार्थी संख्या 4 से पूछा कि वह कहां चली गयी थी, उसने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वह भीड़ से दूर खुले में बैठ गयी थी।

करनैल कौर और परिवार के अन्य सदस्य लगभग 1 बजे घर आए। घर आकर उन्होंने देखा कि सोहन सिंह खून से लथपथ पड़ा था।

अभियोजन पक्ष का मामला है कि घर आने पर अपीलार्थी संख्या 4 तुरंत अपने कमरे में गयी और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसके कमरे में बाहर से प्रवेश होता है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि इसके बाद अपीलार्थी संख्या 4 ने सोहन सिंह की बेटियों जसविंदर कौर और दलबीर कौर को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि वे यह न कहें कि उनका कोई दुश्मन है या किसा व्यक्ति का नाम न लें, अन्यथा परेशानी होगी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सोहन सिंह को देखने के बाद परिवार के सदस्यों का हाहाकार मच गया, जिसने हरनेक सिंह (अधिवक्ता) सहित पड़ोसियों को आकर्षित किया। उक्त हरनेक सिंह ने फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस सोहन सिंह के घर पर पहुंची और मृतक की बेटी जसविंदर कौर का बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पूछताछ की, गवाहों से पूछताछ की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सभी चार आरोपियों के विरूद्ध धारा 120 बी और आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत आरोप विरचित किये गये थे, जिन्होंन दोषी न होने का अभिवाक किया। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। याचिकाकर्ताओं ने कोई सबूत नहीं दिया। सभी अपीलार्थियों ने अपने बयानों अन्तर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी. में आरोपों का खंड़न किया। अपीलार्थी सुरजीत कौर ने धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत अपने बयान में कहा कि उसे संपत्ति के उसके हिस्से से वंचित करने के लिए मामले में शामिल किया गया था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने कुछ समय के लिए रामलीला मैदान छोड़ दिया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने, साक्ष्य के आधार पर कहा कि, सोहन सिंह की मानव वधिक मृत्यु हुयी है। उन्होंने आगे कहा कि सभी चार अपीलकर्ताओं ने सोहन सिंह की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी और अपीलकर्ता 1 एवं 2 ने उनकी हत्या की थी। इसलिए उन्होने अपीलकर्ता 1 एवं 2 को धारा 302 तथा 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दोषी ठहराया। अपीलकर्ता 3 एवं 4 को धारा 120–बी सठित धारा 302 आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया। सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। आपराधिक अपील संख्या 247 सन 1978 को विवादित निर्णय दिनांकित 10 मार्च, 1997 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

दोनो अवर न्यायालयों ने साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया है। दोनों अदालतों ने माना है कि सभी अपीलकर्ताओं के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त था। हमने अवर न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किया है। हमने सबूत पढ़े हैं। हम साक्ष्य की सराहना में या तथ्यों और परिस्थितियों के रचनाक्रम में कोई कमजोरी या भ्रांति नहीं है, जो निर्विवाद रूप से दोष के उचित संदेह से परे एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, जहां तक अपीलार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 सम्बन्धित हैं।

पी0डब्लू0–4 राजेन्द्र कुमार गुप्ता, जिन्होंने शव परीक्षण किया, के सबूत दर्शाते हैं कि सोहन सिंह को निम्नलिखित चोटें आयी थीं:

1– दाहिने घुटने के जोड़े की अग्रवर्ती सतह पर 1/1 "x1" घर्षण के साथ चोट लगना।

2– बायें घुटने के जोड़े की अग्रवर्ती सतह पर 1 "x1/2" घर्षण के साथ चोट लगना।

3– छेदित घाव (तिरछा) 3/4 "x1/4" x पृष्ठीय पहलू पर बाईं तर्जनी अंगलूी की हडडी पर गहरी।

4– छेदित घाव (तिरछा) 1 "x1/4" x पृष्ठीय पहलू पर बीच की अंगूली की हडडी पर गहरी।

5– छेदित घाव (तिरछा) 1–1/4"x1/8" पृष्ठीय पहलू पर सीधे हात की बीच की अंगूली पर पहले और दूसरे फेलिन्क्स पर गहरी।

6– बहुत सारे छेदित घाव (तिरछे) 3–1/2 "x1/2" x के क्षेत्र में पृष्ठीय पहलू पर बायें हाथ की दूसरी मैटाकार्पल हडडी से छठी मैटाकार्पल हडडी तक फैली हुयी गहरी।

7– बहुत सारे छेदित घाव 2 "x1" के क्षेत्र में बायीं कलाई के जोड़ का मध्य भाग नीचे से कटा हुआ।

8– बहुत सारे छेदित घाव 3 "x1" x के क्षेत्र में माशपेशियों के पीछे के पहलू पर बाईं अग्र भुजा पर निचले हिस्से पर गहरी।

9– बहुत सारे छेदित घाव (तिरछे) 1 "x1/2" के क्षेत्र में पृष्ठीय सतह पर अग्र भुजा के ऊपरी हिस्से पर गहरी।

10– बहुत सारे छेदित घाव (तिरछे) 1–1/4 "x1/2" के क्षेत्र में पीछे के पहलू पर अग्र भुजा पर मध्य भाग के ऊपरी हिस्से पर गहरी।

11– बहुत सारे छेदित घाव (तिरछे) 1/2 "x1/4 x के क्षेत्र में बाईं भुजा की माशपेशियों पर लेटरो पीछे के पहलू पर गहरी।

12– छेदित घाव (तिरछा) 1/2 "x1/4" के क्षेत्र में चोट नं0 11 की माशपेशियों के ऊपर गहरी।

13– छेदित घाव (तिरछा) 1/2 "x1/2" x के क्षेत्र में चोट नं0 12 की माशपेशियों के ऊपर गहरी।

14– छेदित घाव (तिरछा) 3–1/2 "x2–1/2" x के क्षेत्र में बायें कन्धे के जोड़ की माशपेशियों के सुपीरियर सरफेस पर, ऊपरी भुजा के लेटरल सरफेस तक गहरी।

15– छेदित घाव (तिरछा) 2 "x 3/4" के क्षेत्र में पृष्ठीय रीढ़ के स्केप्यूलर क्षेत्र की हडडी पर गहरी।

16– छेदित घाव (तिरछा) 3 "x1/2" x के क्षेत्र में मध्य भाग की माशपेशियों पर बायें हिस्से के इन्फ्राक्लेविकूलर क्षेत्र में गहरी।

17– छेदित घाव (तिरछा) 2 "x1/4" x के क्षेत्र में चोट नं0–16 की माशपेशियों के ऊपर।

18– छेदित घाव (तिरछा) 3 "x2" x के क्षेत्र में थायराइड और क्रिकाइड उपास्थि को काटते हुये श्वांसनली तक गहरी, सुपरा क्लेविकूलर क्षेत्र के बायें मैन्डीबल के सीधे कोण के नीचे से श्वांसनली और स्वरयंत्र तक गहरी फैली हुयी।

19– दाहिने हाथ के पृष्ठीय पहलू पर बहुत सारे छेदित घाव (तिरछे) अँगूठे, तर्जनी अंगूली, बीच की अंगूली और आधी छोटी अंगूली को अलग करते हुये।

20– बायें तरफ की गर्दन से सर्विकल वर्टीब्रेट तक बहुत सारे छेदित घाव (तिरछे) बायें तरफ की गर्दन की सभी माशपेशियों और तंत्रिकाओं को काटते हुये। यह घाव सीधे कान तक फैला हुआ। घाव 11"ग5" के क्षेत्र की चौडाई का था।

21– छेदित घाव (तिरछा) 1–1/2 "x1/2" x के क्षेत्र में नाक की हडडी के बायें मैक्सीलरी क्षेत्र की तरफ गहरी।

22– छेदित घाव (तिरछा) 1–1/2 "x1/2" x के क्षेत्र में हडडी के ऑक्सीपीटल क्षेत्र में गहरी।

के. सिंह बनाम राज्य (एस.एन. वैरियावा,जे.)

505

पी0डब्लू0–4 आगे कहता है कि शरीर को खोलने पर उसने पाया कि वायु नली कटी हुयी थी और निम्नलिखित भंजन थेः

1– बाईं तर्जनी का टर्मिनल फालानक्स।

2– बाईं तरफ की दूसरी से पांचवीं मैटाकार्पल हडडी तक।
3– बाईं तरफ की कोहनी की हडडी का निचला भाग।
4– बाईं तरफ की कन्धे की रीढ़।
5– थाईराइड और क्रैब।
6– सीधे हाथ की तीसरी और चौथी मैटाकार्पल हडडी।
7– सीधे तरफ की अनामिका अंगूली का समीपस्थ फालानक्स।
8– सीधे तरफ की छोटी अंगूली का बाह्य फालानक्स।

पी0डब्लू0–4 का यह भी कहना है कि सोहन सिंह को पाई गयी सभी चोटें, प्रकृति में मृत्यु–पूर्व थीं और वे सामूहिक रूप से और प्रकृति के सामान्य रूप में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उनके अनुसार, चोटों की संख्या 18 एवं 20 ही उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। चिकित्सा अधिकारी की प्रतिपरीक्षा में उसकी विशेषज्ञ राय पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके साक्ष्य से, यह पूरी तरह से साबित होता है कि सोहन सिंह को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई घावों का सामना करना पड़ा था, और यह कि उनकी मृत्यु उन्हें लगी चोटों के कारण हुयी थी।

हमारे विचार में यह उन परिस्थितियों का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त हैं जो निर्विवादित रूप से अभियुक्त संख्या 1, 2 एवं 4 की ओर इशारा करती हैं। पी0डब्लू0–1 (जसविंदर कौर), पी0डब्लू0–2 (करनैल कौर) एवं पी0डब्लू0–3 (दलबीर कौर) के साक्ष्य यह साबित करते हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 कुछ समय के लिए मोहन सिंह का किरायेदार था। यह साक्ष्य यह साबित करता है कि मोहन सिंह उनकी मृत्यु से पूर्व कुछ वर्षों से पैरालिसिस से परेशान थे। यह साबित करता है कि अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 4 के बीच अवैध संबंध थे। साक्ष्य, पी0डब्लू0–8 (ज्ञानेन्द्र सिंह) के साक्ष्य के साथ यह साबित करता है कि सोहन सिंह अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 4 के बीच अवैध संबंध का विरोध कर रहे थे। पी0डब्लू0–1 और पी0डब्लू0–8 के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी संख्या 4 ने करनैल कौर को धमकी दी थी कि वह देखेगी कि वह भी विधवा हो गयी है। साक्ष्य यह भी स्थापित करता है कि अपीलार्थी संख्या 4 परिवार के सभी सदस्यों को रामलीला समारोह में ले गयी थी और सोहन सिंह के बेटे को भी सोहन सिंह के साथ घर पर रुकने के लिए प्रयास किया था, परन्तु बेटे को घर पर रोकने में सफल न हो सकी।

साक्ष्य यह भी स्थापित करता है कि अपीलार्थी संख्या 4 परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रामलीला उत्सव में गयी थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए रामलीला मैदान से चली गयी और जब करनैल कौर और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपीलार्थी संख्या 4 से पूछा कि वह कहां चली गयी थी, उसने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वह भीड़ से दूर खुले में बैठ गयी थी। इसके अलावा पी0डब्लू0–9 (बूटा सिंह) के साक्ष्य से यह स्थापित

होता है कि अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 को उसी रात लगभग 9 बजे सोहन सिंह के घर की ओर जाते देखा था। उपरोक्त के अलावा, पी0डब्लू0–6 (इकबाल सिंह), पी0डब्लू0–7 (गुरदर्शन सिंह) एवं पी0डब्लू0–15 थानाध्यक्ष (विवेचना अधिकारी) इस बात की पुष्टी करते हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 के कहने पर एक दरात और खून से सनी पैंट तथा अपीलार्थी संख्या 2 के कहने पर एक अन्य दरात बरामद किया गया था।

हमारे विचार में दोनों अवर न्यायालयों ने सही निर्णय दिया है कि उपरोक्त साक्ष्य और बरामदगी एक उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं कि (i) अपीलार्थी संख्या 1 कुछ समय के लिए मोहन सिंह का किरायेदार था, (ii) कि अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 4 के बीच अवैध संबंध थे, (iii) की अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 मोहन सिंह के घर आते रहते थे जब अपीलार्थी संख्या 7 एक किरायेदार था, (iv) कि सोहन सिंह अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 4 के बीच अवैध संबंध का विरोध कर रहे थे, (v) कि सोहन सिंह ने अपीलार्थी संख्या 4 के अपने हिस्से को बेचने पर भी आपत्ति जताई थी, (vi) की हत्या का हेतुक था, (vii) कि अपीलार्थी संख्या 4 ने करनैल कौर को धमकी दी थी कि वह देखेगी कि वह भी विधवा हो गयी है, (viii) कि अपीलार्थी संख्या 4 परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रामलीला उत्सव में गयी थी, सोहन सिंह को घर पर अकेला छोड़ कर, (ix) कि सोहन सिंह के बेटे को भी सोहन सिंह के साथ घर पर रुकने के लिए प्रयास किया था, परन्तु ऐसा कर न सकी, (x) अपीलार्थी संख्या 4 रामलीला मैदान से चली गयी, (xi) कि अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 को उसी रात लगभग 9 बजे सोहन सिंह के घर की ओर जाते देखा था, (xii) कि अपीलार्थी संख्या 4 ने घर आने पर अपीलार्थी संख्या 4 तुरंत अपने कमरे में गयी और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसके कमरे में बाहर से प्रवेश होता है, (xiii) कि इसके बाद अपीलार्थी संख्या 4 ने सोहन सिंह की बेटियों जसविंदर कौर और दलबीर कौर को अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि वे यह न कहें कि उनका कोई दुश्मन है या किसा व्यक्ति का नाम न लें।

यह इस तथ्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए कि अपीलार्थी संख्या 1 के कहने पर एक दरात और खून से सनी पैंट तथा अपीलार्थी संख्या 2 के कहने पर एक अन्य दरात बरामद किया गया था। अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्यों उनके द्वारा खून से सने दरात को छिपाया गया था और कैसे वह इसे खोजने में मदद कर सकते थे।

इन सभी परिस्थितियों को एक साथ रखा जाता है तो निर्विवादित रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 ने 15 और 16 अक्टूबर, 1977 की रात को सोहन सिंह की हत्या की साजिश रची और उनकी हत्या की।

इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि गवाहों के साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों अवर न्यायालयों ने विस्तृत कारण निर्धारित

किये हैं कि क्यों साक्ष्य विश्वसनीय थे। हम इन निष्कर्षों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत उसके बयान में अपीलार्थी संख्या 4 इस बात से इनकार करती है कि उसने रामलीला समारोह छोड़ा था। गवाहों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि उसने रामलीला समारोह छोड़ दिया था।

स्वपन पत्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, **(1999) 9 एस.सी.सी. 242** के मामले में यह माना गया है कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थिति के मामले में जब अभियुक्त स्पष्टीकरण देता है और वह स्पष्टीकरण असत्य पाया जाता है तो वह श्रृंखला को पूरा करने के लिए रचना क्रम में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, **(2000) 1 एस.सी. सी. 471** के मामले में भी यही सिद्धांत दोहराया गया है। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने पर अभियुक्त द्वारा दिया गया गलत उत्तर उस परिस्थिति को उसे प्रेरित करने में सक्षम बनाता है। यह माना जाता है कि इस तरह की स्थिति में एक गलत उत्तर को श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अज्ञात लिंक प्रदान करने के रूप में भी गिना जा सकता है।

अपीलार्थी संख्या 4 द्वारा दिया गया झूठा जवाब इस बात से इनकार करता है कि उसने रामलीला कार्यक्रम छोड़ दिया था, परिस्थिथियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लिंक प्रदान करता है।

हमारे विचार में यह एक उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है कि अभियुक्त संख्या 1, 2 एवं 4 ने साजिश रची थी और सोहन सिंह की हत्या कर दी थी।

हालांकि, जहां तक अपीलार्थी संख्या 3, उत्तम चन्द संबंधित है, उसके विरूद्ध एकमात्र सबूत पी0डब्लू0–9 का सबूत है। पी0डब्लू0–9 (बूटा सिंह) ने पदच्युत किया है कि उसने अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 को उसी रात लगभग 9 बजे मृतक के घर की ओर जाते देखा था। हमारे विचार में, यह अपने आप में अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एकमात्र अन्य साक्ष्य पी0डब्लू0–5 (दर्शन सिंह) का साक्ष्य है। दोनों अवर न्यायालयों ने पी0डब्लू0– 5 के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है। हमने पी0डब्लू0–5 के साक्ष्य पढ़े हैं। हमने विरोधाभासी बयान भी देखा है, जो उसने पुलिस को अपने बयान में दिया था। हमारे विचार में, विरोधाभास महत्वपूर्ण है।

वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पी0डब्लू0–5 के साक्ष्य पर भरोसी नहीं किया जा सकता। इस साक्ष्य के अभाव में ऐसी कोई परिस्थिति या प्रमाण नहीं है जो अपीलार्थी संख्या 3 को साजिश या हत्या से जोड़ता हो। इसलिए हम अपीलार्थी संख्या 3 उत्तम चन्द की दोषसिद्धी अन्तर्गत धारा 120 बी सपठित धारा 302 आई.पी.सी. को रदद करते हैं। उसे सभी आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तुरंत रिहा कर दिया जायेगा, जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

अपीलार्थी संख्या 1 कुलदीप सिंह, अपीलार्थी संख्या 2 महेन्द्र सिंह एवं अपीलार्थी संख्या 4 सुरजीत कौर की दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील को खारिज किया जाता है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जमानत बंध पत्र रदद किये जायेंगे। हम अपीलार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। ऐसा करने में उनकी विफलता पर हम सत्र न्यायाधीश, श्री गंगानगर को अभियुक्त को जेल में डालने के लिए तुरंत और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हैं।

अपील निरस्त।

निरीक्षकः

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश]

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी. ए.) एक्ट]

बुलन्दशहर

JO Code-UP-5999